


सरकार बनाम शान्ति

22/2/24

पत्रावली पैरा 1 हुई। पैराकार सरकार उपस्थित।
 अपाधी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पैराकार
 सरकार की संपत्तीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली
 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।
 लक्ष्मीलाल लालसोट द्वारा यह

रेकॉर्ड्स शां पत्रा. क्र. ल. क. 162, 155, 156, 161,
 157, 158, 159, 160 ग्राम लालसोट में करवत
 हे की करण संवत् 2022 में उक्त बखस नम्बरों पर
 मन्दिर की सालिगरामजी के स्थान पर प्रभु लाल
 बलद रामप्रसाद दर्ज हैं होने एवं वरिये विशाल
 अपाधी के नाम हुए बन्दाज की कलमपत्र
 करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट सरपंच
 ग्राम पंचायत बालाबजाव दिनांक 14.2.19 अनुसार
 अपाधी शान्ति पत्नि स्व. प्रभु लाल की मृत्यु
 20 वर्ष पूर्व ही चुकी है एवं परिवार में कोई बारिस
 नहीं होना अंकित है। इसी प्रकार रिपोर्ट
 लक्ष्मीलाल दिनांक 14-3-2019 में भी अपाधी
 शान्तिदेवी के कोई पुत्र-पुत्री नहीं होना बताया
 है।

इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से  स्पष्ट होता है कि वक्त कायरी रेकॉर्ड अपाधी
 पत्र अपाधी को त ही चुकी थी। लक्ष्मीलाल
 लालसोट द्वारा राजस्व बिल में उक्त बखस

नम्बरों पर शान्ति देवी के इन्डाय के आधार पर
मृत व्यक्ति के विरुद्ध रेफरेंस प्रार्थना पत्र
पेश किया | RRT 2018(2) केज न. 1205
में माननीय राजस्व मंडल द्वारा मृत निर्धारित
विमा है कि

" Any suits / Apped filed against a
dead person is a nullity. "

अतः इम आधार पर इम रेफरेंस
प्रार्थना पत्र चलाने योग्य नहीं पाया जाता है

अतः प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र
स्वारिज किया जाकर तहसीलदार लालसोट
को निर्देश दिये जाये है कि वह विवाहित
रबसरा नम्बरान पर अपाधी के प्रारिलान की
जाँच कर, मौके पर काबिल व्यक्तियों के
संबंध में जाँच कर इन्हें पक्षकार बनाते हुए
एक माह की अवधि में पुनः रेफरेंस प्रार्थना
पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें |

पत्रावली फैलल शुमाट लेकट
दाखिल दफ्तार हो | निर्णय की प्रति तहसीलदार
लालसोट को भेजी जावे |

निर्णय सुनाया |
22/2/24

बीमा महावर
इति जिला कलक्टर
लालसोट (दीमा)